



झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./60/16 - 21

राँची/दिनांक: 24/04/2017

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, राँची के ज्ञापांक-5/प्रशि0(प्रशि0)-01/2017-वि0स0को0-10(गो0) दिनांक- 27.03.2017 के द्वारा पर्षद को सूचित किया गया है कि वर्ष-2017 से राज्य के सभी NCVT से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन, प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार, पर्षद द्वारा किया जायेगा अर्थात् पर्षद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 से सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये अब प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा बल्कि आवेदकों के 8वीं/10वीं कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेधा सूची से किया जायेगा।

2. तदनुसार राज्य के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में सीधे प्रवेश हेतु वैसे उपयुक्त आवेदकों से, जो निम्न आवासीय, शैक्षणिक, शारीरिक, आयु-सीमा इत्यादि अर्हता धारित करते हैं उनसे पर्षद द्वारा निम्न तरीकों में से कोई एक माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

(क) ऑनलाईन :- इसके लिए आवेदक को पर्षद के अधिकृत वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> या वेबसाइट <http://jceceb.nic.in> के Homepage पर "Online Application Form Submission for Admission in I.T.I. in 2017" बटन पर Click कर, दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 25.04.2017 से दिनांक 30.05.2017 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय आठवीं (8वीं)/दसवीं (10वीं) कक्षा का अंक पत्र तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साईज का अपना रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ-साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए; हस्ताक्षर एवं बाँयें हाथ के अंगुठे का निशान तैयार रखें। ऑनलाईन आवेदन करने पर उसका प्रिंट आउट पर्षद कार्यालय को नहीं भेजना है।

(ख) आई0 सी0 आर0 आवेदन पत्र :- इसके लिए आवेदक को पर्षद के अधिकृत वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Download कॉलम से आई0 सी0 आर0 आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2017 से Download कर तथा उसे पूर्ण रूप से भरकर आवेदन कर सकते हैं। पर्षद कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.05.2017 के अपराह्न 05.00 बजे तक है। आवेदक को आवेदन पत्र "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, साईस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस, सिरखा टोली, नामकुम, राँची-834010" के पते पर स्पीड/निबंधित पोस्ट के माध्यम से भेजना है। आवेदक लिफाफे के ऊपर "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में नामांकन से संबंधित आवेदन" अवश्य लिखें। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य/पिछड़ी जाति - I /पिछड़ी जाति-II कोटि के आवेदकों के द्वारा रू0 650/- तथा अनुसूचित जाति कोटि/अनुसूचित जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला आवेदकों के द्वारा रू0 325/- का डिमांड ड्राफ्ट जो "Controller of Examination, J.C.E.C.E.B." के पदनाम से तथा राँची में भुगतये हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बिना आवेदन शुल्क के आवेदनों पर पर्षद द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदक द्वारा आठवीं (8वीं) एवं/या दसवीं (10वीं) कक्षा के प्राप्तांक को, आवेदन पत्र में, भरा जाना अनिवार्य है। यदि अंक पत्र में Marks obtained के स्थान पर CGPA दिया गया हो तो उस CGPA को दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए Percentage of Marks में बदल लें। उसे ही Percentage of Marks कॉलम में भरें। {उदाहरण के तौर पर यदि किसी आवेदक जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से 10वीं कक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये है, के अंक पत्र में CGPA = 6.5 है तो उसका समतुल्य Percentage of Marks = $6.5 \times 9.5 = 61.75\%$ होगा}

3. आवासीय योग्यता :-

आवेदक जो झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं, वे ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये पात्र समझे जायेंगे। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0-3198, दिनांक 18.04.2016 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अधिसूचना की प्रति पर्सद के अधिकृत वेबसाइट के Homepage पर Act & Circulars कॉलम में देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के निमित्त साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. शैक्षणिक योग्यता :-

- (क) वेल्डर, कारपेन्टर, मेशन (बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर), सीट मेटल वर्कर एवं वायरमैन व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को आठवीं (8वीं) कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है।
- (ख) उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसायों को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को दसवीं (10वीं) कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है।

5. शारीरिक योग्यता : प्रवेश के लिये अनुशंसित अभ्यर्थियों को नामांकन के समय संस्थान में निबंधित चिकित्सक द्वारा प्रदत्त योग्य होने का का स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के अयोग्य होने की स्थिति में उनका नामांकन नहीं किया जायेगा।

6. आयु-सीमा अहर्ता :-

(क) दिनांक 01.07.2017 को आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।

(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्यकर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक है।

आयु की गणना, माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण-पत्र तथा आठवीं/8वीं स्तर के व्यवसायों के लिये प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जायेगी।

7. आरक्षण :-

(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-7/नीति (आरक्षण)-06/2001 का0-5886/राँची, दिनांक 21.09.11 के अनुसार होगा।

(ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा-गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध माना जायेगा।

आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के निमित्त साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. **सैनिक कोटा आरक्षण** :- सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय में सैन्य कर्मियों (किसी भी वर्ग) के लिये एक सीट आरक्षित है। "A Guide to Resettlement of Ex-Service Men 1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिसूचित सैन्यकर्मियों को ही यह सुविधा दी जायेगी।

सैनिक कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नांकित होगा :

1. सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैन्यकर्मियों के विधवा/आश्रितों
2. सैन्य कार्रवाई में अपंग हुये सेवारत तथा सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों
3. शांतिकाल में सैन्य सेवा के दौरान मरने वाले सैन्यकर्मियों के विधवा/आश्रितों
4. शांति काल में सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैन्यकर्मियों के आश्रितों
5. वीरता पदक प्राप्त सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों तथा सेवारत सैन्यकर्मियों के आश्रितों
6. सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों
7. सेवारत सैन्यकर्मियों के आश्रितों

सैनिक कोटा हेतु आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने हेतु सेवारत सैन्यकर्मियों/सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों, दिवंगत सैन्यकर्मियों की विधवा तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-

क) झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक)/उपायुक्त द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

ख) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों के लिये)

ग) सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक।

9. **दिव्यांगों हेतु आरक्षण** :- सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय में दिव्यांगों (किसी भी वर्ग) के लिये एक सीट आरक्षित है। दिव्यांग का अभिप्राय होगा वैसे उम्मीदवार जो मूक या बधिर या दोनों मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। दिव्यांगों को साक्षात्कार के समय एक फुल साइज का अपना फोटो तथा जिला अस्पताल के आर्थो-पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति लाना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण-पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। आवेदन-पत्र में दिव्यांग के प्रकार सम्बन्धी कोड भरें।

10. **नामांकन शुल्क** :- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थियों से नामांकन/प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थियों को संस्थान में जमानती राशि (Caution Money) के रूप में ₹50/- जमा करना होगा जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरान्त प्रतिदेय (Refundable) होगा।

गैर- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थियों से नामांकन/प्रशिक्षण के लिए, सरकार द्वारा निर्धारित राशि ली जायेगी।

11. **मेधा सूची** :- पर्षद द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये दो प्रकार की मेधा-सूचियों का निर्माण निम्नरूपेण किया जायेगा :-

(क) **कक्षा आठवीं स्तरीय मेधा सूची** :- जिन व्यवसायों में नामांकन के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा में उत्तीर्णता है, उसके लिये मेधा सूची का निर्माण, आठवीं (8वीं) कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर, किया जायेगा। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में जिनका जन्म तिथि पहले होगा अर्थात् जो उम्र में बड़े होंगे उन्हें मेधा-क्रम में वरीयता दी जायेगी। इसके वाबजूद भी अगर स्थिति समान रहती है तो उम्मीदवारों के प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार वरीयता दी जायेगी।

(ख) **कक्षा दसवीं स्तरीय मेधा सूची** :- जिन व्यवसायों में नामांकन के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10 वीं कक्षा में उत्तीर्णता है, उसके लिये मेधा सूची का निर्माण, दसवीं (10वीं) कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर,

किया जायेगा। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में मेधाक्रम निर्धारण में उपरोक्त प्रक्रिया का अनुशरण किया जायेगा।

जो उम्मीदवार 10 वीं कक्षा में उत्तीर्ण हैं उन्हें आठवीं (8वीं) कक्षा स्तरीय व्यवसायों के साथ-साथ दसवीं (10वीं) कक्षा स्तरीय व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय का चयन करने का अवसर उनके मेधाक्रमानुसार मिलेगा। इसके लिये उन्हें आवेदन पत्र में आठवीं (8वीं) तथा दसवीं (10वीं) दोनों कक्षा में प्राप्तांक अवश्य भरें, जिससे की उनका मेधा क्रमांक, दोनों मेधा-सूचियों में अंकित किया जा सकें।

12. पर्वद द्वारा मेधा सूचियों के निर्माण के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के निमित्त सफल उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों के लिये साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा जिसकी विस्तृत सूचना प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्वद के अधिकृत वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

13. संशय/दुविधा की स्थिति में पर्वद के दूरभाष सं. 0651-6999170 या 0651-6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

14. प्रेस में मुद्रण संबंधी अशुद्धियों के लिये पर्वद उत्तरदायी नहीं होगा।


ह0/-

(दिलीप कुमार झा, भा.प्र.से.)
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे.सी.ई.सी.ई.बी./60/16- 169

,राँची/दिनांक: 24/04/2017

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 25/04/2017 को उक्त विज्ञापन, झारखण्ड के सभी दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।


परीक्षा नियंत्रक